विकास कुमार रूड़कीवाल

बनाम

उत्तराखंड राज्य वगैरह

(स्थानांतरण याचिका (सीआरएल) क्रमांक 29 ऑफ 2008)

11 जनवरी 2011

(न्यायमूर्तिगण जे.एम. पंचाल और एच.एल. गोखले)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 406 -

"स्थानांतरण याचिका - याचिकाकर्ता के पिता की बेरहमी के साथ दिनदहाड़े हत्या की गई-आरोपी राज्य में सक्रिय ताकतवर लोगों की गिरोह से संबंधित- रिकार्ड के अनुसार आरोपी के सहयोगियों द्वारा याचिकाकर्ता और परिवार को धमकी दी गई-याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने या अभियुक्तों द्वारा की गई धमकियों को विफल करने के लिए पुलिस या राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की गई-चार अभियुक्त पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं लेकिन पुलिस या राज्य एजेंसी ने उनके जमानत आदेश रद्द करने के लिए कदम नहीं उठाया - अभियोजन एजेंसी

की सच्चाई व प्रभावशीलता ऐसे आचरण से स्पष्ट है- समन बार-बार तामील होनेे के बावजूद गवाहों की हरिद्वार अदालत में जाना की अनिच्छा, न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है - याचिकाकर्ता ऐसा मामला बनाने में सक्षम होगा कि यह न्याय की विफलता होगी और गवाहों को धमकियों के परिणामस्वरूप केवल इस आधार पर अभियुक्त को बरी कर दिया जाएगा-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और न्याय हित में, मामले का स्थानांतरण हरिद्वार से दिल्ली करने का आदेश दिया गया।

धारा 311- गवाहों को सम्मन करने और परीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति - पीठासीन न्यायाधीश की भूमिका- अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधीश को मुकदमे में सहभागी की भूमिका निभानी है - उसे मात्र एक टेप-रिकॉर्डर की तरह गवाह द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसे रिकॉर्ड करने के लिए कार्य नहीं करना है- साक्ष्य अधिनियम की धारा 311 और धारा 165 न्यायालय को साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए विशाल एवं व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है।

साक्ष्य अधिनियम - एस. 165.

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसके पिता अधीक्षण अभियंता थे और एक ऐसी परियोजना के प्रभारी थे, जिसमें एक बडी रकम निहित थी। उसके पिता की रूड़की (उत्तराखंड) के उनके निवास स्थान पर तीन

व्यक्तियों द्वारा दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसने आरोपियों (जो उसके पिता की हत्या में शामिल थे) के खिलाफ आपराधिक मामले को तत्काल उत्तराखंड के न्यायालय से दिल्ली स्थानान्तरित करने की मांग करते हुए स्थानांतरण याचिका दायर की। मामले को स्थानांतरित करने की मांग गवाहों पर दबाव और धमकी व साथ ही जांच एजेंसी और अभियोजन एजेंसी की संदिग्ध ईमानदारी के आधार पर की गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि उसके पिता का ड्राइवर जो चश्मदीद गवाह था वह पक्षद्राही हो गया है और अन्य गवाह जिनको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन प्राप्त हो रहे थे, उन्हें दी जाने वाली नियमित धमकियांे के कारण गवाही देने हेतु उपस्थित होने में असमर्थ थे। इसके अलावा याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और माँ डर के कारण पहले ही रूड़की छोड़ चुके थे और दिल्ली में रहने लगे हैं और इस प्रकार हरिद्वार में अदालत के समक्ष गवाही देने में असमर्थ हैं।

न्यायाल्य ने स्थानांतरण याचिका का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 मामले का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी के सहयोगियों द्वारा उसे और उसके परिवार को दी गई धमकियों के बारे में शिकायत करते हुए कई पत्र लिखे गए या आवेदन किए गए, हालांकि एसएसपी हरिद्वार या उत्तराखंड सरकार द्वारा याचिकाकर्ता और उसके परिवार

को सुरक्षा प्रदान करने या अभियुक्तों या उनके सहयोगियों द्वारा दी गई धमकियों को विफल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक का ड्राइवर पक्षद्राही हो गया था। यह तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा इससे इनकार नहीं किया कि कई बार समन प्राप्त होने के बावजूद न तो याचिकाकर्ता को और न ही उसकी पत्नी और न ही उसके परिवार के सदस्य और न ही अन्य गवाह अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए हरिद्वारा जा पाए हैं। हालांकि किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों के साथियों द्वारा याचिकाकर्ता और उसके रिश्तेदारों का पीछा करने के कारण वे अदालत में उपस्थित होने और साक्ष्य देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। अगर यही स्थिति रही तो इतने क्रूर हत्याकांड में अभियोजन पक्ष कोई साक्ष्य नहीं दे पाएगा और आरोपी को बरी करना पडेगा। रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन न तो पुलिस और न ही राज्य एजेंसी ने उनके जमानत आदेश को रद्द करने के उद्देश्य से कोई कदम उठाया है।

हिमांशु सिंह सभरवाल बनाम बनाम म.प्र. राज्य और अन्य (2008) 4 एससीआर 783- पर भरोसा किया गया।

अब्दुल नजर मदानी बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 2000 एससी 2293- संदर्भित।

1.2 विचारण के दौरान दिए गए बयान से पक्षद्राही होने वाले ड्राइवर से सरकारी अभियोजक द्वारा अप्रभावी जिरह अभियोजन एजेंसी की सच्चाई/प्रभावशीलता के बारे में बहुत कुछ बताती है। निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर शायद ही जोर देने की जरूरत है। कम से कम संवेदनशील मामलों में गवाहों की सुरक्षा में राज्य की निश्चित भूमिका होती है। न्यायाधीश मुकदमे में सहभागी की भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। उनसे यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह गवाहों द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड करने के लिए महज एक टेप रिकार्डर की तरह काम करेंगें। धारा 311 द.प्र.सं. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा कर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय को विशाल एवं व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैं। हालांकि रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि मुकद्मे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था, जो एक तरह से उनकी अन्य शक्तियों के पूरक है। यह सत्य है कि किसी मामले में पक्षकार की ओर से उचित आशंका होनी चाहिए कि न्याय नहीं किया जाएगा और केवल यह आरोप कि न्याय नहीं होगा कि आशंका है, स्थानान्तरण का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि न्याय की विफलता होगी और अभियुक्तों को बरी कर दिया जाएगा क्यों कि गवाहों को धमकी दी गई है, उचित आशंका याचिकाकर्ता द्वारा बनायी गई है। (पेरा 15)

गुरचरण दास चढ्ढा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1418 ; मेनका संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी (1979) 4 एससीसी 167; के. अनबझगन बनाम पुलिस अधीक्षक (2004) 3 एससीसी 767 ; अब्दुल नजर मदानी बनाम तमिलनाडू राज्य (2000) 6 एससीसी 204- पर निर्भर

1.3 याचिका में दिए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि आरोपी यूपी में सक्रिय शक्तिशाली गिरोह से संबंधित हैं ,उत्तराखंड राज्य जिस राज्य में से ही अलग होकर बना है। याचिकाकर्ता उन परिस्थितियों को दिखाने में सक्षम है, जिनसे यह उचित अनुमान लगाया जा सकता है कि गवाहों के लिए सुरक्षित रूप से बयान देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्हें जिनके खिलाफ बयान देना है, उनका डर सता रहा है। बार-बार समन मिलने के बावजूद गवाहों द्वारा हरिद्वार की अदालत में जाने की अनिच्छा से न्याय की प्रक्रिया में बाधा आना स्वाभाविक है। यदि ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी गई, तो यह अराजकता, उत्पीडन आदि का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक न्याय प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। यह देखने के लिए कि चश्मदीदों की अक्षमता दूर हो और न्याय की जीत हो, तत्काल याचिका में दावा की गई राहत देना आवश्यक हो गया है। तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में और न्याय हित में केस को हरिद्वार से

दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। (पेरा 17)

सन्दर्भित न्याय निर्णयन:

(2008) एससीआर	पर निर्भर	14 के लिए
एआईआर 2000 एससी	से संबंधित	11 के लिए
एआईआर 1966 एससी 1418	पर निर्भर	16 के लिए
(1979) 4 एससीसी 167	पर निर्भर	16 के लिए
(2004) 3 एससीसी 767	पर निर्भर	16 के लिए
(2300) 6 एससीसी 204	पर निर्भर	16 के लिए

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकारःस्थानांतरण याचिका 2008 की (सीएलआर) संख्या 29,

डी.आर. निगम, राजेश कुमार, कृष्ण कुमार आर.एस., आर.के. श्रीवास्तव याचिकाकर्ता की ओर से

सौम्यजीत पानी, अंसार अहमद चौधरी, एस.एस. शमशेरी, जतिन्दर कुमार भाटिया, डॉ. लक्ष्मी शास्त्री, डॉ. विपिन गुप्ता उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल द्वारा सुनाया गया।

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (“संक्षेप में संहिता) की धारा 406 के तहत यह याचिका दायर करके, याचिकाकर्ता, जो स्वर्गीय राधेश्याम का बेटा है और जो उसकी हत्या से संबंधित मामले में पहला मुखबिर भी है, ने प्रार्थना की है कि केस शीर्षक आकाश त्यागी और अन्य एसटी 2006 की अपराध संख्या- 182 और 2006 की एफआईआर संख्या- 169 से उद्भूत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट हरिद्वार (उत्तराखंड) के न्यायालय में लंबित 2007 की एसटी संख्या 6 मामले को दिल्ली की सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में स्थानान्तरित किया जाए।

2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं-

स्व. राधेश्याम प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में अधिशाषी अभियंता नियुक्त किये गये थे। जनवरी, 2004 में उन्हें ऊपरी गंगा लिंक नहर परियोजना नामक एक परियोजना की देखभाल के लिए तैनात किया गया था, जिसके तहत गंगा और यमुना नामक दो नदियों को जोडाना था। यह उनके बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड, कार्यकुशलता और ईमानदारी की वजह से किया गया था। नवंबर 2005 में उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और उक्त परियोजना का प्रभारी बनाया गया, जिसकी कुल लागत 240 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यूपी

की लंबे समय से चली आ रही सिंचाई और पीने के पानी की समस्याओं को हल करना और बाढ़ को नियंत्रित करने का समाधान प्रदान करना था। 18 जून, 2006 की दोपहर को रूड़की (उत्तराखंड) में उनके कैंप कार्यालय स्थित आवास पर तीन व्यक्तियों द्वारा दिनदहाड़े उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। याचिकाकर्ता, जो एक चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है, ने कहा है कि उसने आरोपियों का पीछा किया था लेकिन वे भाग निकले थे और इसलिए, उसने पुलिस को फोन किया था और तुरंत पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी थी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने मृतक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने 18.6.2006 को एफआईआर संख्या 169/2006 दर्ज की थी। उसी दिन जिलाधिकारी (उत्तराखंड) के हस्तक्षेप पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। यूपी के अधीक्षण अभियंता राधेश्याम की हत्या से पूरे उत्तराखंड और यूपी के साथ-साथ इंजीनियरिंग और नौकरशाही समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई थी और यह घटना अखबारों में व्यापक रूप से छपी थी।

3. मृतक इंजीनियर की हत्या में शामिल आरोपियों के हाई प्रोफाइल होने के कारण, उत्तराखंड पुलिस अपराध की जांच करने में असमर्थ/अनिच्छुक पाई गई। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्या की

जांच करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ स्पेशल टास्क फोर्स को निर्देश दिया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नियुक्त स्पेशल टास्क फोर्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर बड़ी संख्या में छापेमारी की थी। एक गिरफ्तारी को छोड़कर सभी गिरफ्तारियां स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी थी। एक गिरफ्तारी भी स्पेशल टास्क फोर्स, यूपी की सूचना के बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई थी।

4. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इससे पहले दो जूनियर इंजीनियरों की भी बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी। यह बताया गया कि परियोजना के तहत सौंपे गए और सौंपे जाने वाले ठेकों से संबंधित विवाद इन इंजीनियरों की हत्या के मुख्य कारण के रूप में उभरे थे, जिनमें स्वर्गीय राधेश्याम की हत्या भी शामिल थी। रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि जांच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया था और आरोपी जो स्थानांतरण याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 से 9 है,के खिलाफ धारा 302 सपठित धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत आरोप विरचित किए गए। मुकदमा विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हरिद्वार (उत्तराखंड) की अदालत में शुरू हो गया और इस समय तक, एक गवाह

की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है।

5. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे और अन्य गवाहों सहित उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने अदालत के सामने गवाही देने की हिम्मत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो मृतक का हुआ। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि अदालत में परीक्षण किया गया पहला चश्मदीद गवाह, जो मृतक का ड्राइवर था, उसे दी गई धमकियों के कारण वह पक्षद्राही हो गया था और मुकदमे की सुनवाई कर रहे विद्वान न्यायाधीश मूक दर्शक बने रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ दिनांक 25 मई 2007 को अदालत में पेश होने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, तो गिरोह ने उनका और उनकी पत्नी का पीछा किया था और डर के कारण वे कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हो पाए।

6. याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि जिन अन्य गवाहों की अभी साक्ष्य लेखबद्ध की जानी है, उन्हें गवाही देने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए नियमित रूप से सम्मन प्राप्त हो रहे हैं लेकिन वे हरिद्वार में विचारण न्यायालय के समक्ष उन्हें लगातार मिल रही धमकियों के कारण उपस्थित होने और गवाही देने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उसकी माँ डर और धमकियों के कारण पहले ही रूड़की छोड़कर याचिकाकर्ता के भाई के साथ दिल्ली में रह रही है और इस

प्रकार हरिद्वार की अदालत के समक्ष गवाही देने में असमर्थ है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि उसे मिली धमकियों के कारण, वह और उसकी पत्नी, जो कि सारभूत गवाह हैं, ने भी दिल्ली में रहना शुरू कर दिया है।

7. याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसने कई पत्र लिखे एवं आवेदन किए और सक्षम अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने और उसे और अन्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

8. याचिका में कहा गया है कि दिनांक 8 जून 2007 को प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र में बताया गया था कि मृतक की हत्या का जिम्मेदार सुनील राठी देहरादून जेल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना गिरोह चला रहा है और उसने व्यापक स्तर पर आतंक फैला रखा है, जो मृतक की हत्या के मामले में निष्पक्ष सुनवाई की अनुमति नहीं देगा। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है और मृतक की हत्या में शामिल शक्तिशाली लोगों से प्रभावित है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि विचारण न्यायालय ने भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। इस प्रकार यह याचिका दायर करके याचिकाकर्ता ने विद्वान जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हरिद्वार की अदालत में लंबित मामले को दिल्ली के सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने की प्रार्थना की है।

9. याचिका दिनांक 01 मई, 2008 को न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिए रखी गई थी और याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। नोटिस की तामील पर, उत्तराखंड राज्य ने याचिका में दिए गए कथनों का खंडन करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया है। जवाब में कहा गया है कि आरोपियों को अलग-अलग तारीखों में गिरफ्तार किया गया और मामले की उचित जांच की गई तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, आकाश त्यागी के पास से 315 बोर की एक पिस्तौल, कारतूस, नीले रंग की मोटरसाइकिल आदि जब्त किये गये। प्रत्युत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि आकाश त्यागी और उसके सह-अभियुक्तों से पूछताछ पर अन्य आरोपियों विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित को गिरफ्तार किया गया था और आरोपियों पर गंभीर अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है। जवाबी हलफनामे के अनुसार उत्तराखंड पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम थी और जांच करने में अनिच्छुक नहीं थी लेकिन मामले की जांच कर रही स्थानीय पुलिस पर लगे आरोपों को देखते हुए जांच, विशेष एजेंसी को सौंप दी गई। जवाब दाखिल कर उत्तराखंड राज्य की ओर से दावा किया गया है कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

10. याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में शपथ

पत्र का प्रत्युत्तर पेश किया है।

11. प्रतिवादी नम्बर 2, कुमार गौरव ने भी जवाब में शपथ पत्र दायर किया है जिसमें अन्य बातों के अलावा यह उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरण याचिका पूरी तरह से गलत है और इसमें लगाए गए आरोप निराधार, अस्पष्ट और गलत हैं। इसलिए याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 ने अब्दुल नजर मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 2000 एससी 2293 में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें यह माना गया है कि आपराधिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश देने से पहले न केवल शिकायतकर्ता की सुविधा बल्कि अभियुक्त की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्युत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसलिए, यदि मुकदमा हरिद्वार से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी के साथ अन्याय और पूर्वाग्रह होगा। आरोपी द्वारा यह भी कहा गया है कि अभियुक्तों की ओर से परीक्षण के लिए प्रस्तावित गवाह बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने के इच्छुक नहीं होंगे और इसलिए, मामले के स्थानांतरण से अभियुक्तों के साथ अन्याय होगा। जवाब के अनुसार, वर्तमान मामला मीडिया द्वारा मुकदमे का एक उत्कृष्ट

उदाहरण है और याचिकाकर्ता जो प्रभावशाली है और जिसने घटना को व्यापक रूप से प्रचारित किया था, वह मामले में प्रतिवादी नंबर 2 को झूठा फंसाने में सफल रहा है। जवाब में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मामले को हरिद्वार की अदालत से दिल्ली के सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है और इसलिए याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

12. इस न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से से सुना है। इस न्यायालय ने तत्काल याचिका का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर भी विचार किया है।

13. मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी के सहयोगियों द्वारा उसे और उसके परिवार को दी गई धमकियों के बारे में शिकायत करते हुए कई पत्र या आवेदन किए गए हैं। हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने या अभियुक्तों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई ऐसी धमकियों को विफल करने के लिए एसएसपी, हरिद्वार या उत्तराखंड सरकार द्वारा नाम करने के लायक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह ध्यान रखना सुसंगत है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा किया गया था कि मृतक का ड्राइवर एक चश्मदीद गवाह था और याचिकाकर्ता का मामला यह है कि धमकियों

के कारण वह मुकर गया। यह तथ्य विवादित नहीं है कि ड्राइवर मुकर गया था। इस तथ्य से राज्य सरकार ने इनकार नहीं किया है कि कई समन मिलने के बावजूद न तो याचिकाकर्ता, न ही उसकी पत्नी, न ही उसके परिवार के सदस्य और न ही अन्य गवाह अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए हरिद्वार जा सके हैं। इसलिए, यह अदालत याचिकाकर्ता के मामले को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है कि वह और अन्य गवाह अभियुक्तों के सहयोगियों द्वारा दी गई धमकियों के कारण अपनी जान को खतरा होने के कारण ही सम्मन का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपियों के साथियों द्वारा याचिकाकर्ता और उसके रिश्तेदारों का पीछा करने के कारण वे अदालत में उपस्थित होने और साक्ष्य देने में सक्षम नहीं हो पाए थे। अगर यही स्थिति रही तो इतने क्रूर हत्याकांड में अभियोजन पक्ष कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाएगा और आरोपियों को दोषमुक्त करना पड़ेगा। रिकॉर्ड यह इंगित करता है कि चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन न तो पुलिस और न ही राज्य एजेंसी ने उनके जमानत आदेश को रद्द करने के उद्देश्य से कोई कदम उठाया है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हिमांशु सिंह सभरवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 4 एससीआर 783 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, जहां इस न्यायालय ने पैराग्राफ 14 और

15 में निम्नानुसार देखा हैः-

> ‘‘14. जैसा कि बेंथम ने कहा, ‘‘गवाह’’ न्याय की आंखें और कान हैं। इसलिए विचारण की गुणवत्ता और प्रधानता का महत्व है। यदि गवाह स्वयं न्याय की आंख और कान के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, तो मुकदमा विशुद्ध और लकवाग्रस्त हो जाएगा और यह एक निष्पक्ष विचारण का गठन नहीं कर सकता है। अक्षमता कई कारकों के कारण हो सकती है जैसे गवाह का नियंत्रण से परे कारणों से अदालत में सच बोलने की स्थिति में नहीं होना या लापरवाही या अज्ञानता या कुछ भ्रष्ट मिलीभगत के कारण। सत्ता में बैठे लोगों, उनके गुर्गों और भाड़े के लोगों, राजनीतिक लोगों के इशारे पर धमकियों, दबाव, लालच और मौद्रिक कारणों से बार-बार गवाहों के मुकरने के कारण अदालतों को मिले कई अनुभवों के कारण कार्रवाई करने का समय आ गया है। रसूख और संरक्षण तथा अनगिनत अन्य भ्रष्ट आचरण, जो सत्य और न्याय को सामने लाने वाली सच्चाई और वास्तविकताओं को आसान बनाने और दबाने के लिए सरलता से अपनाए गए, अंततः हताहत हो गए। व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हितों के लिए आवश्यक है कि

अपराध के पीड़ित जो आम तौर पर अभियोजन के पक्षकार नहीं होते हैं और उनकी अभियोजन एजेंसियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य के हितों को धीमी प्रक्रिया में भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अपरिवर्तनीय रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से, यदि अनुमति दी गई तो यह न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को कमजोर और नष्ट कर देगा, जो अंततः अराजकता, उत्पीड़न और अन्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप कानून के शासन की इमारत पूरी तरह टूट जाएगी और ध्वस्त हो जाएगी, जो स्थापित और ईर्ष्यापूर्वक संरक्षित और सुरक्षित है। संविधान। गवाह की सुरक्षा की जरूरत आन पड़ती है। समय आ गया है जब गवाहों की सुरक्षा के लिए गंभीर और निष्पक्ष विचार किए जाएं ताकि अदालत के सामने अंतिम सत्य प्रस्तुत किया जाए और न्याय की जीत हो और मुकदमा मजाक बनकर न रह जाए। गवाहों की सुरक्षा में राज्य की एक निश्चित भूमिका है, शुरुआत में कम से कम उन संवेदनशील मामलों में जिनमें सत्ता में बैठे लोग शामिल हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जो बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि मुकदमे को दागदार और पटरी से उतरने और सच्चाई को हताहत होने

से बचाया जा सके। . अपने नागरिकों के संरक्षक के रूप में उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत में मुकदमे के दौरान गवाह बिना किसी डर के सुरक्षित रूप से सच बयान कर सके जिनके खिलाफ उसने गवाही दी है। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'टाडा अधिनियम') जैसे कुछ विधायी अधिनियमों ने गवाहों द्वारा खतरनाक अपराधियों-आतंकवादियों के खिलाफ गवाही देने में दिखाई गई अनिच्छा पर ध्यान दिया है। हल्के रूप में भी बाहुबल, धनबल या राजनीतिक बल वाले लोगों के खिलाफ गवाही देने में गवाहों की अनिच्छा और झिझक आजकल की आदत बन गई है। यदि अंततः सत्य तक पहुंचना है, तो न्याय की आंखों और कानों की रक्षा करनी होगी ताकि न्याय के हित अदालतों के समक्ष कार्यवाही को महज दिखावटी परीक्षण बनाने के अर्थ में अक्षम न हो जाएं जैसा कि आमतौर पर फिल्मों में देखा जाता है।

15. गवाह, पीड़ित या मुखबिर के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ निषेध पर जोर देने के लिए विधायी उपाय आज की आसन्न और अपरिहार्य आवश्यकता बन गए हैं। ऐसे आचरण जो अदालतों के समक्ष कार्यवाही में

साक्ष्य की प्रस्तुति को नाजायज रूप से प्रभावित करते हैं, उनसे गंभीरता से और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। केवल अभियुक्तों के हितों की रक्षा के लिए कोई अनुचित चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह समाज की आवश्यकताओं के प्रति अनुचित होगा। इसके विपरीत, प्रयास निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का होना चाहिए जहां आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों को उचित व्यवहार मिले। न्याय के उचित प्रशासन में सार्वजनिक हित को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि व्यक्तिगत अभियुक्तों के हितों को। इसमें अदालतों की अहम भूमिका है।"

15. उपरोक्त निर्णय आपराधिक मुकदमे में गवाह के महत्व को स्पष्ट रूप से बताता है। यह एक अधीक्षण अभियंता की हत्या का मामला है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन पर क्रूर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का बेटा गवाहों पर दबाव और धमकी के साथ-साथ जांच एजेंसी और अभियोजन एजेंसी की संदिग्ध ईमानदारी के आधार पर कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है। जांच के दौरान दिए गए बयान से मुकरने वाले ड्राइवर से सरकारी अभियोजक द्वारा प्रभावी जिरह में अभियोजन एजेंसी की ईमानदारी और प्रभावशीलता के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर शायद ही जोर देने की जरूरत है। कम से कम संवेदनशील

मामलों में, गवाहों की सुरक्षा में राज्य की निश्चित भूमिका होती है। विद्वान न्यायाधीश मुकदमे में सहभागी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। उनसे यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह गवाहों द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड करने के लिए महज एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करेंगे। धारा 311 द.प्र.सं. और भा.सा.अधि. की धारा 165 साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा कर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय को विशाल एवं व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैं। हालांकि रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि मुकद्मे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था, जो एक तरह से उनकी अन्य शक्तियों के पूरक है। यह सत्य है कि किसी मामले में पक्षकार की ओर से उचित आशंका होनी चाहिए कि न्याय नहीं किया जाएगा और केवल यह आरोप कि न्याय नहीं होगा कि आशंका है, स्थानान्तरण का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि न्याय की विफलता होगी और अभियुक्तों को बरी कर दिया जाएगा क्यों कि गवाहों को धमकी दी गई है, उचित आशंका याचिकाकर्ता द्वारा बनायी गई है।

16. इस न्यायालय को, विभिन्न अवसरों पर, आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई के महत्व और विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा करने का अवसर मिला, जिसमें निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए एक

मुकदमे को स्थानांतरित किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के दायरे के संबंध में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देना फायदेमंद होगा। गुरुचरण दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1966 एससी 1418 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः -

> "यदि किसी मामले में किसी पक्ष की ओर से उचित आशंका है कि न्याय नहीं होगा तो एक मामले को स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक याचिकाकर्ता को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि न्याय अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा। यदि वह उन परिस्थितियों को दिखाता है तो वह स्थानांतरण का हकदार है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे एक आशंका है और कथित परिस्थितियों में यह उचित है। यह न्याय प्रशासन के सिद्धांतों में से एक है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि उसे होते हुए भी दिखना चाहिए। हालाँकि, केवल यह आरोप कि यह आशंका है कि किसी मामले में न्याय नहीं होगा, पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को यह भी देखना होगा कि आशंका उचित है या नहीं। आशंका की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए आशंका मानने वालें व्यक्ति की मनःस्थिति निःसंदेह प्रासंगिक है लेकिन यह सब कुछ नहीं

है। आशंका पर न केवल विचार किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को यह उचित आशंका प्रतीत होनी चाहिए।''

मेनका संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी (1979) 4 एससीसी 167 को इस न्यायालय ने अवलोकन किया, जो निम्नानुसार है: -

''निष्पक्ष सुनवाई की गारण्टी न्याय प्रदान करने की पहली अनिवार्यता है। और स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव पेश करते समय न्यायालय के लिए विचार करने के लिए केंद्रीय मानदंड किसी पक्ष की अतिसंवेदनशीलता या सापेक्ष सुविधा या कानूनी सेवाओं की आसान उपलब्धता या तुच्छ शिकायतें नहीं है। यदि न्यायालय को स्थानांतरण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना है तो उसे सार्वजनिक न्याय और उसके संबंधित वातावरण के दृष्टिकोण से कुछ अधिक सम्पन्न, अधिक मजबूर करने वाला, अधिक जोखिम भरा होना आवश्यक है। यह प्रमुख सिद्धांत है, यद्यपि परिस्थितियाँ असंख्य हो सकती हैं और प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है। हमें इस नियम को ध्यान में रखते हुए इस कसौटी पर याचिकाकर्ता के आधारों का परीक्षण करना होगा कि आम तौर पर शिकायतकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाली किसी भी अदालत को चुनने का अधिकार है और आरोपी यह तय

नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ मामला कहां चलाया जाना चाहिए। यहां तक कि न्याय की प्रक्रिया द्वारा पक्षकारों को परेशान नहीं करना चाहिए और इस दृष्टिकोण से न्यायालय परिस्थितियों का आकलन कर सकती है।''

के. अंबाजगन बनाम पुलिस अधीक्षक (2004) 3 एससीसी 767 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: -

''स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्य शर्त है। यह बेबुनियादी कानून है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यदि आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और स्वच्छ नहीं है और निष्पक्षता से मुक्त नहीं है, तो न्यायिक निष्पक्षता और आपराधिक न्याय प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी, इस व्यवस्था में जनता का विश्वास डगमगा जाएगा और कानून के शासन पर संकट आ जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामले में सवाल यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता वास्तव में है पक्षपातपूर्ण है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका ह'

अब्दुल नजर मदनी बनाम तमिलनाडु राज्य (2000)6 एससीसी 204

में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः -

> "आपराधिक मुकदमें का उद्देश्य बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। जब यह दिखाया जाता है कि मुकदमे की निष्पक्षता में जनता का विश्वास गंभीर रूप से कम हो जाएगा, तो कोई भी पक्ष धारा 407 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य के भीतर और देश में कहीं भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत स्थानान्तरण की मांग कर सकता है। उचित और निष्पक्ष जांच या सुनवाई नहीं होने की आशंका युक्तियुक्त हो और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक न्याय का वितरण सही नहीं हो रहा है, किसी भी न्यायालय या यहाँ तक कि किसी भी स्थान पर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के, उपयुक्त न्यायालय मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है, जहां उसे लगता है कि निष्पक्ष और उचित सुनवाई अनुकूल है। कोई भी सार्वभौमिक या कठोर नियम स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नहीं किए जा सकते, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर हमेशा तय किया जाना चाहिए। स्थानान्तरण

याचिका निर्णित करते समय विचारण के दौरान पक्षकारों की सुविधा और गवाहान की सुविधा भी एक सुसंगत तथ्य है। पक्षकारों की सुविधा का मतलब जरूरी नहीं कि केवल उन याचिकाकर्ताओं की सुविधा, जिन्होंने आशंका की गलत धारणाओं पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए सुविधा का अर्थ अभियोजन पक्ष, अन्य अभियुक्तों, गवाहों और समाज के व्यापक हित की सुविधा है''

17. याचिका में दिए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि आरोपी यूपी में सक्रिय शक्तिशाली गिरोह से संबंधित हैं, जहां से उत्तराखंड राज्य बना है। याचिकाकर्ता उन परिस्थितियों को दिखाने में सक्षम है जिससे यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि गवाहों के लिए सुरक्षित रूप से सच बयान करना मुश्किल हो गया है क्योंकि उन्हें जिनके खिलाफ बयान देना है, उनका डर सता रहा है। बार-बार समन मिलने के बावजूद गवाहों द्वारा हरिद्वार के न्यायालय में जाने की अनिच्छा से न्याय की प्रक्रिया में बाधा आना स्वाभाविक है। यदि ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी गई, तो यह अराजकता, उत्पीड़न आदि का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक न्याय प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। यह देखने के लिए कि चश्मदीदों की अक्षमता दूर हो और न्याय की जीत हो, तत्काल

याचिका में दावा की गई राहत देना आवश्यक हो गया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इस न्यायालय की राय है कि यदि मामले को हरिद्वार से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है, तो न्याय का हित पूरा होगा।

18. उपरोक्त कारणों से याचिका सफल होती है। इस मामले का शीर्षक राज्य बनाम है। आकाश त्यागी और अन्य के खिलाफ अपराध संख्या 182/2006 और 2006 की एफआईआर संख्या 169 से संबंधित प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे, हरिद्वार, उत्तराखंड की अदालत में लंबित 2007 की एसटी संख्या 6 को एतद्वारा सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकार क्षेत्र दिल्ली. जांच एजेंसी, अभियोजन एजेंसी, दिल्ली राज्य के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य और विद्वान न्यायाधीश, जिनके पास मामले की सुनवाई सौंपी जाएगी, उनको निर्देशित किया जाता है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए वे उचित कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे की विचारण शीघ्रताशीघ्र और बिना किसी अपरिहार्य कारणों से देरी किए बिना मामले का निस्तारण करें। तद्नुसार स्थानांतरण याचिका का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वीरेंद्र जसूजा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। **अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।